राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1792/2025

छोटी देवी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
4. अंकिता कुमारी, एएनएम, उप स्वास्थ्य केन्द्र, चन्दाना, पीएचसी, मण्डोली नगर, ब्लॉक जसवंतपुरा, जिला जालौर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, मालाखेड़ा, पंचायत समिति पीपराली, जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र, चांदना, पीएचसी,, मांडोली नगर, खण्ड जसवंतपुरा, जिला जालौर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को संमजित करने के उद्देश्य से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के राजस्थान पंचायत राज (स्थानान्तरण क्रियाकलाप) नियम—2011 के नियम 8(iii) के विरूद्ध जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी के एक बच्चा है, जो सीकर जिले में 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही निर्भर करती है। यदि मध्य सत्र में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाता है तो अपीलार्थी के बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होगी। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, मालाखेड़ा, पंचायत समिति पीपराली, जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र, चांदना, पीएचसी,, मांडोली नगर, खण्ड जसवंतपुरा, जिला जालौर में प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में किया गया है। मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(1 एमएम)/2018, जयपुर दिनांक 22.11.2021 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आंवटित है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने का प्रश्न है डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438 का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य